न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 29 / 2019

1 श्योचन्द पुत्र ताराचन्द जाति अहीर उम्र 76 साल निवासी रामसिंहपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, सीकर
2 तहसीलदार नीमकाथाना जरिये भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ फैसला जे.पी. गौड़ सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना फैसला व डिक्री दिनांकित 05.05.2018 बउनवानी रेवेन्यू दावा नम्बर 447 / 2017 श्योचन्द बनाम राजस्थान सरकार वगैरह

उपस्थिति :

1. श्री राहुल पारीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणेश प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
3. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 05.04.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक नीमकाथाना द्वारा मुकदमा संख्या 447/2017 में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय मे घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम रामसिंहपुरा तहसील नीमकाथाना की भूमि खसरा नम्बर 369/1,388,516,532 बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट की और से धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर पुराना 369/1 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि जिसके नया खसरा नम्बर 516 रकबा 0.63 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 532 रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का छाजा की नांगल की तन में स्थित है। उक्त भूमि मे से अपीलांट वादी खसरा नम्बर 369/1 रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि मे से 0.50 हैक्टेयर तथा 388 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि मे से 0.20 हैक्टेयर भूमि को अपने जीवनकाल में पूर्व सेटलमेन्ट से पहले के काश्त करता आ रहा है तथा उस पर काबिज है उक्त भूमि खसरा परिवर्तनशील संवत 2020 से लगातार अपीलांट वादी के नाम से दर्ज होती आ रही है तथा अपीलांट वादी उक्त भूमि का शुरू से लगान राशि अदा करता आ रहा है। अपीलांट वादी जाति से अहीर का गरीब व्यक्ति है। उक्त भूमि ही अपीलांट वादी की आजीविका का एक मात्र साधन है उक्त भूमि मे ही कृषि कर अपीलांट वादी अपने एवं अपने परिवार की आजीविका चलाता आ रहा है। उक्त भूमि मे अपीलांट वादी ने कच्चा छप्पर बना रखा है तथा वर्तमान में अपीलांट वादी ने गेहूं, जो, चना, बाजरा आदि काश्त कर फसल काटी है। वादी ने काफी धन एव मेहनत कर उक्त भूमि को काबिज काश्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं उपजाउ बनाया है। खसरा परिवर्तनशील में संवत 2040 से लगातार आज तक अपीलांट वादी का नाम अंकित है अपीलांट वादी का लगातार उक्तानुसार खसरा परिवर्तनशील में इन्द्राज होता आ रहा है। उक्त भूमि की जमाबंदी संवत 2055 से 2058 मे उक्त भूमि के काश्तकार विवरण में सिवायचक काबिज काश्त लगानी दर्ज है जबकि अपीलांट वादी उक्त भूमि पर बिना किसी रूकावट के लगातार काबिज काश्त चला आ रहा है। वरवक्त सेटलमेन्ट उक्त भूमि की खातेदारी गलत तौर से राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज कर दी गयी। जबकि सेटलमेन्ट के पूर्व से अपीलांट वादी के पूर्वजो का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है अपीलांट वादी ने इस सम्बंध में खातेदारी दर्ज किये जाने हेतु कई बार राजस्व अधिकारियो से निवेदन किया किन्तु कोई कार्यवाही नही की गयी। अपीलांट बीमार था अस्पताल में भर्ती था इसलिये निर्णय की जानकारी समय पर नही हुई जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1992 पेज 534, आर.आर.डी. 1983 पेज 712, आर.आर.डी. 1988 पेज 689, आर.आर.डी. 1994 पेज 87 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 516,532 जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक राज्य सरकार के नाम दर्ज है। इस भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण है। विवादित भूमि सिवायचक होने के कारण अपीलांट को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 516,532 जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक राज्य सरकार के नाम दर्ज है। इस भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण है, इस सन्दर्भ में पटवारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं तहसीलदार की रिपोर्ट विचारण न्यायालय की पत्रावली पर है ऐसी स्थिति में विवादित भूमि सिवायचक होने के कारण अपीलांट को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर